

::-संशोधित आदेश-:-

मुख्यालय के आदेशांक-1062/2025, दिनांक 23.07.2025 द्वारा जनपद लखनऊ में दिनांक 04.08.2025 से दिनांक 07.08.2025 तक संशोधित खण्ड पीठ गठित की गयी थी। उक्त संशोधित खण्ड पीठ कार्यक्रम में दिनांक 05.08.2025 को अपरिहार्य कारण वश मेरे स्थान पर श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ को नामित किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह0/04.08.2025

(रमेश चन्द-I)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2, 3 लखनऊ।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

ह0/04.08.2025

(रमेश चन्द-I)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

प्रशासनिक अधिकारी
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।